

**राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर**

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2195/2025
श्रवण सिंह शेखावत पुत्र स्वर्गीय श्री प्रताप सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी गणेश चौक, इंद्रा
कॉलोनी, बीकानेर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
3. सहायक खनिज अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, नीम का थाना।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री अंकुर माथुर
प्रतिवादीगण के लिए	:	श्री ललित पारीक श्री आदित्य गुप्ता

**माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा
आदेश (मौखिक)**

30/01/2025

1. यहाँ आदेश दिनांक 15.01.2025 (संलग्नक-2) को चुनौती दी गई है, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता का स्थानांतरण नीम का थाना से 400 किमी की दूरी पर राजसमंद कर दिया गया है।
-

2. याचिकाकर्ता को, उचित चयन प्रक्रिया के पश्चात, प्रारंभ में माइंस फोरमैन-द्वितीय के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात, उसे आदेश दिनांक 22.02.2024 के माध्यम से नीम का थाना स्थानांतरित किया गया था। उसे आदेश दिनांक 07.03.2024 के माध्यम से माइंस फोरमैन-प्रथम के पद पर पदोन्नत किया गया था। आक्षेपित आदेश दिनांक 15.01.2025 (संलग्नक-2) के माध्यम से, उसे राजसमंद स्थानांतरित कर दिया गया है। अतः, यह याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि उसका स्थानांतरण 11 महीने की अल्पावधि के भीतर कर दिया गया है।
 3. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता को और रिट याचिका की अग्रिम प्रति की तामील पर प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है।
 4. सर्वप्रथम, प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि यह नियमित स्थानांतरण का मामला नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता की पदोन्नति के कारण, उसकी सेवाओं को पदोन्नत पद पर रखकर उसे अनिवार्य रूप से इसका लाभ दिया जाना है। वे प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान पदस्थापन स्थान पर माइंस फोरमैन-प्रथम का कोई पद नहीं है, हालांकि पदोन्नति के पश्चात याचिकाकर्ता को उसी जिले में सेवा जारी रखने की अनुमति दी गई थी। वे प्रस्तुत करते हैं कि राजसमंद में पदोन्नत पद पर रिक्ति उपलब्ध होने पर, याचिकाकर्ता को उसके पदोन्नति आदेश के नियमों के अनुसार उच्च पद पर स्थानांतरित किया जा रहा है।
 5. प्रतिवादीगण के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात, मेरा यह विचार है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापन स्थान से लगभग 400 किमी दूर स्थानांतरित किए जाने के तथ्य के कारण कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा है, किंतु राजस्थान जितने प्रादेशिक रूप से बड़े राज्य में काम करने वाली सरकारी सेवा की अनिश्चितताएं ऐसी हैं जिन्हें किसी को भी
-

अनिवार्य रूप से तथ्य के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। चूँकि याचिकाकर्ता को पदोन्नत कर दिया गया है, इसलिए वह उस स्थान पर पदस्थापित किए जाने के माध्यम से इसके लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है जहाँ भी पदोन्नत पद उपलब्ध हो। इसलिए, मुझे इसमें कुछ भी गलत नजर नहीं आता है।

6. उपर्युक्त को देखते हुए, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।
7. खारिज किया जाता है।
8. हालांकि, याचिकाकर्ता को भविष्य में जब भी कोई नजदीकी रिक्ति उपलब्ध हो, तो अपना अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी, जो कि निश्चित रूप से प्रशासनिक आवश्यकता और प्रश्नगत पद पर कार्य की आवश्यकता के अधीन होगी।
9. सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निस्तारण किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

49-एसकेएम/-एसपी/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate